राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम

राज्य प्रोग्राम कमेटी (अन्धता)

(राज्य स्वास्थ्य समिति)

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएें, राजस्थान

स्वास्थ्य भवन, सी–स्कीम, जयपुर

Email - blindness_shs@rediffmail.com/sno-npcbvi-rj@gov.in

क्रमांकः अंधता / 2025–26 / 14 दिनांकः 24/04/2025

अतिआवश्यक

स्मरण–पत्र

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त।
अधीक्षक / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
राजकीय जिला / उपजिला / सैटैलाईट
चिकित्सालय, समस्त।

विषयः– एनपीसीबी कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्र जांच चिकित्सा सुविधाऐ उपलब्ध करवाने बाबत।

संदर्भः– निदेशालय के पत्र कमांक अंधता / 2024–25 / 429 दिनांक 09.12.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देशों के कम में राज्य की ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को नेत्र जांच चिकित्सा सुविधाऐ उपलब्ध करवाने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा पूर्व में संचालित विजन सेन्टर (प्राथमिकता देते हुऐ) जहां पर नेत्र सहायक कार्यरत नही है वहॉ पर जिले में पदस्थापित नेत्र सहायक की सप्ताह में 02 दिन ड्यूटी लगाकर नेत्र जांच चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाये व दृष्टिदोष मरीजो का नेत्र ऑपरेशन राजकीय जिला चिकित्सालय में करवाने हेतु पाबंद करे तथा संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नेत्र रोगियो की जांच हेतु आवश्यक उपकरण एवं दवाईयो की समुचित व्यवस्था कि जानी सुनिश्चित करे।

उक्त के संबंध में आपके द्वारा कि गयी कार्यवाही से अवगत करावे।

पत्र को उच्च प्राथमिकता प्रदान करे।

(डॉ0 दिनेश पारीक)
संयुक्त निदेशक (अंधता) एवं सदस्य सचिव
स्टेट प्रोग्राम कमेटी (ब्लाईडनेंस)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः अंधता / 2025–26 / 14 दिनांकः 24/04/2025

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ, जोन–समस्त।
4. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा0) समस्त।
5. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को मेल करवाते हुये विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करावे।

संयुक्त निदेशक (अंधता) एवं सदस्य सचिव
स्टेट प्रोग्राम कमेटी (ब्लाईडनेंस)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ
राजस्थान जयपुर